संख्या सा–3–1035/दस –907-76, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

(1) महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
(2) सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,
शिव शंकर लाल भटनागर,
अनु सचिव।

संख्या सा–3–200/दस—938–75

प्रेषक,

श्री त्रिभुवन प्रसाद,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

दिनांक, लखनऊ 25 जनवरी, 1979।

विषय :—पेंशन के आगणन हेतु नि:संवर्गीय पद पर प्राप्त की गई परिलब्धियों का लेखे में लिया जाना।

महोदय,

वित्त (सामान्य) अनुभाग–3

आपका ध्यान शासनादेश संख्या सा–3–3534/दस—938-75, दिनांक 24 मई, 1976 की ओर आकर्षित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश में यह निर्देश जारी किये गये थे कि केवल ऐसे स्थायी नि:संवर्गीय पदों पर आहरित की गई परिलब्धियां ही पेंशन आगणन हेतु लेखे में ली जायेंगी जो अपेंशनीय घोषित न किये गये हों और जिन पर पेंशन प्राप्ति की अन्य शर्तें पूरी होती हों।

2—इस विषय पर शासनादेश द्वारा पुनर्विचार किये जाने पर यह देखा गया है कि असंवर्गीय पदों पर नियुक्तियां योग्यता एवं प्राप्त अनुभव के आधार पर की जाती है और ऐसे पदों का सृजन शासन द्वारा जनहित में ही किया जाता है। नि:संवर्गीय पद पर प्राप्त किया गया वेतन वस्तुत: स्थानापन्न वेतन ही होता है और सी० एस० आर० के अनुच्छेद 486 के अनुसार स्थापन्न वेतन भी पेंशन हेतु ली जाने वाली परिलब्धियों में शामिल किया जाता है। अतएव पेंशन आगणन हेतु ली जाने वाली परिलब्धियों के लिये संवर्गीय अथवा नि:संवर्गीय पद का विभेद किया जाना उचित नहीं है।

3—अत: शासनादेश संख्या सा–3–3524/दस—938-75, दिनांक 24 मई, 1976 का अतिक्रमण करते हुए अब यह निर्णय लिया गया है कि पेंशन आगणन के लिये संवर्गीय अथवा नि:संवर्गीय पद का विभेद नहीं किया जायगा तथा नि:संवर्गीय पद पर प्राप्त परिलब्धियां भी पेंशन आगणन हेतु औसत परिलब्धियों में शामिल की जायेगी।

4—यह आदेश तुरन्त प्रभावी होंगे। अनिर्णीत मामलों को भी उपरोक्तानुसार निस्तारित किया जा सकेगा किन्तु निर्णीत हो चुके मामलों को पुनर्जीवित नहीं किया जायगा।

भवदीय,
त्रिभुवन प्रसाद
वित्त सचिव।

संख्या सा–3–200(1)/दस81—938-75, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

(1) महालेखाकार उत्तर प्रदेश (तृतीय), इलाहाबाद।
(2) सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,
त्रिभुवन प्रसा
वित्त सचिव